

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (उ0 शिक्षा)  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में बिहार राज्य में प्रथम चरण में 9 अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना हेतु कुल रूपये 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूप0) मात्र आवंटन के संबंध में।

महोदय,

मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -उपमुख्यशीर्ष-01-सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष-203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, मांग संख्या-21, उपशीर्ष-0108-राजकीय महाविद्यालय, विपत्र कोड-21-4202012030108, विषय शीर्ष-01.08.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूप0) मात्र निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है-

विवरण

| क्र0 सं0 | मद                              | पूर्व में आवंटित राशि | तत्काल आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि |
|----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 1.       | 01.08.53.01-मुख्य निर्माण कार्य | 2,00,00,000           | 3,00,00,000        | 5,00,00,000     |
|          | योग :-                          | 2,00,00,000           | 3,00,00,000        | 5,00,00,000     |

कुल 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रूप0) मात्र।

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र एवं निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-108 दिनांक-22.02.2018 के आलोक में आवंटित है।
- उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-108 दिनांक-22.02.2018 में उल्लिखित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में ही व्यय किया जाय।

8. उक्त राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में विहित प्रपत्र में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) को प्रेषित किया जाये।
10. इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-01.08.53.01-मुख्य निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रू०) मात्र का अतिरिक्त बजट उपबंध कराया गया है।
11. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा एवं राशि की निकासी कर इसे बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पी०एल० खाता (पी०एल०खाता-237) में जमा किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-


(विनोद कुमार सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :- 312

पटना, दिनांक:- 6/3/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (योजना)/निदेशक, (उच्च शिक्षा)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, पटना/अवर सचिव-सह-आय-व्ययक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14, एवं 15/कार्यवाहक सहायक, शिक्षा विभाग, (उच्च शिक्षा) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

  
(विनोद कुमार सिंह)  
सरकार के विशेष सचिव।  
SN